



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1076]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2017/चैत्र 29, 1939

No. 1076]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2017/CHAITRA 29, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2017

का.आ. 1217(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2719 (अ), तारीख 30.11.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 (नया रारा 31, 128 एवं 335) के 0.000 किलोमीटर से 287.000 किलोमीटर (अम्बेडकरनगर—रायबरेली बांदा सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकरण” संदर्भित किया गया है) को सौंपा है,

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क का संग्रहण करने हेतु सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं तथा सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 02 (अ), तारीख 19 दिसम्बर, 2014, सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015 और सा.का.नि. 585 (अ), तारीख 8 जून 2016, सा.का.नि. 1114 (अ) तारीख 02 दिसम्बर 2016 और सा.का.नि. 248 (अ), तारीख 14 मार्च, 2017 द्वारा उनमें संशोधन किए हैं,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिसे सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा समय-समय पर संशोधित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त नियम” संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 232 के 152.533 कि.मी. से 285.818 कि.मी. तक रायबरेली—बांदा सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त” सेक्शन संदर्भित किया गया है) के पेड शोल्डर सहित दो लेन के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों के 60% पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् “आधार दर” संदर्भित किया गया है) सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 115.340 कि.मी. और संरचना (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) की कुल समकक्ष लम्बाई 20.84 कि.मी. (जिसकी लम्बाई 2.084 कि.मी. है) हेतु तथा बाइपासों, जिनकी लागत दस करोड़ रुपए या अधिक है की 15.861 कि.मी. लम्बाई हेतु आधार दर के 90% की दर से

शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से वास्तविक कार्यान्वयन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है:—

सारणी—1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1 नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (डिजायन चैनेज)	प्रभावित सेक्शन	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रायबरेली जिले में अइहर गांव के पास रारा—232 के 172.890 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज रारा—31 के 74.071 कि.मी. पर)	रारा—232 का 152.533 कि.मी. से 211.837 कि.मी.	53.210 (10 करोड़ से अधिक की लागत वाले वाइपास की लंबाई और 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
फतेहपुर जिले में जिंदपुर गांव के पास रारा—232 के 229.006 कि.मी. पर डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज रारा—335 के 54.620 कि.मी.) पर	रारा—232 का 211.837 कि.मी. से 285.818 कि.मी.	62.130 (10 करोड़ से अधिक की लागत वाले वाइपास की लंबाई और 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (डिजायन चैनेज)	सड़क की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लंबाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लंबाई (कि०मी० में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रायबरेली जिले में अइहर गांव के पास रारा-232 के 172.890 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज रारा-31 के 74.071 कि.मी. पर)	1.144*	11.440	उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
फतेहपुर जिले में जिंदपुर गांव के पास रारा-232 के 229.006 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज रारा-335 के 54.620 कि.मी.) पर	0.940**	9.400	उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

* संरचनाओं, (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाली) का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	आरंभिक चैनेज (कि.मी. पर)	समाप्ति चैनेज (कि.मी. पर)	संरचना का प्रकार और नाम	कुल लम्बाई (कि.मी. में)
(i)	179.510	179.610	आरओबी (लालगंज बाइपास पर)	0.100
(ii)	194.290	195.334	गंगा नदी पर बड़ा पुल	1.044
संरचना की कुल लम्बाई				1.144

** संरचनाओं, (लम्बाई 60 मीटर से अधिक की लंबाई वाली) का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	आरंभिक चैनेज (कि.मी. पर)	समाप्ति चैनेज (कि.मी. पर)	संरचना का प्रकार और नाम	कुल लम्बाई (कि.मी. में)
(i)	214.528	214.648	आरओबी (फतेहपुर बाइपास पर)	0.120
(ii)	251.265	252.085	यमुना नदी पर बड़ा पुल	0.820
संरचना की कुल लम्बाई				0.940

3 उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपये या अधिक की लागत वाले निम्नलिखित बाइपासों के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए बाइपास की विनिर्दिष्ट लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	डिजायन चैनेज			बाइपास की लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है।	दर जिस पर शुल्क संदेय है
	बाइपास का नाम	निम्नलिखित से शुरू होकर	निम्नलिखित पर मिलते हुए		
रायबरेली जिले में अइहर गांव के पास रारा-232 के 172.890 कि.मी.	लालगंज बाइपास	178.600	183.650	4.950 (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित आधार दरों का 90%

पर (विद्यमान चैनेज रारा—31 के 74.071 कि.मी. पर)					
फतेहपुर जिले में जिंदपुर गांव के पास रारा—232 के 229.006 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज रारा—335 के 54.620 कि.मी.) पर	फतेहपुर बाइपास	211.837	222.868	10.911 (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित आधार दरों का 90%

4 जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2017-18 के लिए मासिक पास की दर 245.00 रुपये (दो सौ पैतालीस रुपये मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा।

5 राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6 जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7 जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे टोल प्लाजा पार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के उपयोग की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे वाणिज्यिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए। ऐसे अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन के चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश कराने के लिए नियमों के अधीन, टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों पर लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

8 यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9 उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10 ऊपर सारणी—1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जायेगी और उक्त नियमों के नियम 5 के

अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और, तदनुसार, उसे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11 परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 424.29 करोड़ रुपए है। पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यक्षीन है क्योंकि भूमि अर्जन, जनोपयोगी सुविधाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि के क्रियाकलापों को अभी पूरा किया जाना है। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं.— भाराराप्रा/13013/सीओ/2016—17/जीसी रायबरेली (रायबरेली—बांदा)]
दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2017

S.O. 1217(E).— Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2719 (E) dated 30.11.2011 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 287.000 (Ambedkarnagar - Raebareilly Banda Section) of National Highway No. 232 (New NH 31,128 & 335) in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R. 831(E) dated 21st November, 2014, G.S.R. 02(E) dated 19th December, 2014, G.S.R. 220 (E) dated 23rd March, 2015, G.S.R. 585 (E) dated 08th June, 2016 G.S.R. 1114 (E) dated 02nd December, 2016 & G.S.R. 248 (E) dated 14th March, 2017 for collection of fee for the use of sections of national highways, permanent bridge, bypasses, tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the said “Rules”), the Central Government, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of Two lane with paved shoulders Raebareilly-Banda section from km 152.533 to km 285.818 on NH 232 in the state of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the “said section”), on the Type of Vehicles specified in column (1) at 60% of the rates specified in columns (2) (hereinafter referred to as “base rate”) of Table 1 below for net road length of 115.340 km and for total equivalent length of structure (having more than 60 m length) of 20.84 km (having length of 2.084 km) and at 90% the base rate for 15.861 km length of bypasses costing Rupees Ten crore or more and authorize the said Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee on and from the date of actual implementation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later;

TABLE-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Influence Section	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 172.890 of NH-232 (Existing change at km 74.071 of NH-31) near village Aihar in Dist. Raebareilly	Km 152.533 to km 211.837 of NH 232	53.210 (Excluding length of Bypass Costing > Rs. 10 Crores and structures >60m length)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 229.006 of NH-232 (Existing change at km 54.620 of NH-335) near village Jindpur in Dist. Fatehpur	Km 211.837 to km 285.818 of NH 232	62.130 (Excluding length of Bypass Costing > Rs. 10 Crores and structures >60m length)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (Design chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 172.890 of NH-232 (Existing change at km 74.071 of NH-31) near village Aihar in Dist. Raebareilly	1.144*	11.440	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 229.006 of NH-232 (Existing change at km 54.620 of NH-335) near village Jindpur in Dist. Fatehpur	0.940**	9.400	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

* The details of structures (> 60 m length) are as under:

S.No.	Start Chainage (at km)	End Chainage (at km)	Type and Name of the Structure	Total length (in km)
(i)	179.510	179.610	ROB (on Lalganj Bypass)	0.100
(ii)	194.290	195.334	Major Bridge on Ganga River	1.044
Total length of structure				1.144

** The details of structures (> 60 m length) are as under:

S.No.	Start Chainage (at km)	End Chainage (at km)	Type and Name of the Structure	Total length (in km)
(i)	214.528	214.648	ROB (on Fatehpur Bypass)	0.120
(ii)	251.265	252.085	Major Bridge on Yamuna River	0.820
Total length of structure				0.940

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypasses costing Rs. 10 crore or more, at the following Toll Plaza, for the length of bypass specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Design Chainages			Length of bypass (in km) for which additional fee is payable	Rate at which fee is payable
	Name of Bypass	Taking off at	Merging at		
At km 172.890 of NH-232 (Existing change at km 74.071 of NH-31) near village Aihar in Dist. Raebareilly	Lalganj Bypass	178.600	183.650	4.950 (Excluding length of structures >60m length)	90% of the base rates mentioned in Table-1 above

At km 229.006 of NH-232 (Existing change at km 54.620 of NH-335) near village Jindpur in Dist. Fatehpur	Fatehpur Bypass	211.837	222.868	10.911 (Excluding length of structures >60m length)	90% of the base rates mentioned in Table-1 above
---	-----------------	---------	---------	---	--

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 245 (Rupees Two Hundred and Forty Five only) for the year 2017-18, which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
7. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the Toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the rules.
8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.
9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.
10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the section and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
11. The estimated capital cost of the project is Rupees 424.29 crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/ 2016-17/ GC Raebareilly (Raebareilly - Banda)]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.